जनवरी, 2019

हिमाचल शूरवीर हितैषी

निदेशक :
सैनिक कल्याण विभाग
हिमाचल प्रदेश सरकार
पिन–177001

नोट :- इस पत्रिका में प्रकाशित सामग्री केवल पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को जागरूक करने के लिए है। सरकार की नीतियों और नियमों में कभी भी बदली हो सकती है। उचित प्राधिकार एवं प्रक्रिया की जानकारी सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

हिमाचल शूरवीर हितैषी

हिमाचल प्रदेश राज्य सैनिक कल्याण विभाग की

त्रैमासिक पत्रिका

Chief Editor & Publisher
Brig.
Suresh Kumar Verma
(Retd)
Director

सन्देश

केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये कई प्रकार की योजनाओं का प्रावधान कर रखा है । इसमें पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के लिये आर्थिक/वित्तीय सहायता तथा शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण से सम्बन्धित हैं, जिसमें मैडिकल, डैंटल, इंजिनियरिंग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जे०बी०टी०, बी०एड०, कृषि विश्वविद्यालय इत्यादि शामिल हैं । आधुनिक युग में कई तरह की नई तकनीकें विकसित हो रही हैं जिसमें इंटरनेट मुख्य है । इंटरनेट के कारण सूचना का प्रसारण बहुत तेजी से हो रहा है । यह अत्यन्त जरुरी है कि पूर्व सैनिक इंटरनेट जैसी नई तकनिकों को अपनायें और समुचित लाभ उठायें अन्यथा समाज से पिछड़ जायेंगे । ज्यादा जानकारी के लिये केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेब साइट www.ksv.gov.in देख सकते हैं । इसके अतिरिक्त पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये और कई तरह की योजनायें या जानकारियां होती हैं जिसका लाभ उठा सकते हैं । केन्द्र सरकार ने पूर्व सैनिकों की भलाई के लिये भारतीय सेना पूर्व सैनिक की वेब साइट indianarmyveterans.gov.in चला रखी है, देख सकते हैं, जिसमें सभी जरुरी वेब साइटों के लिंक दे रखे हैं । इन योजनाओं के बारे में जानने के लिये अपने जिला सैनिक कल्याण कायार्लय या हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निदेशालय, हमीरपुर के ट्रोल फ्री नं० 01972-220221 पर भी संपर्क कर सकते है ।

मैं आशा करता हूँ कि अधिक से अधिक पूर्व सैनिक इंटरनेट द्वारा अपनी जानकारी बढ़ाकर केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठायेंगे ।

जय हिन्द।

आपका सेवक

ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा (सेवानिवृत)
निदेशक, सैनिक कल्याण, हि0 प्र0
फोन : 01972–221854, 224659

विभागीय कार्यकलाप / गतिविधियां

टोल फ्री नंबर

पूर्व सैनिक, सैनिक विधवांए व उनके आश्रित नौकरी व पेंशन से सम्बंधित, राज्य व केन्द्र सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी लेने के लिये टोल फ्री नं0 01972-220221 पर सम्पर्क कर सकते हैं ।

पुनर्रोजगार

पूर्व सैनिकों की पुनर्स्थापना एवं पुनर्रोजगार हिमाचल प्रदेश सरकार के लिये सदैव ही प्राथमिकता का विषय रहा है। प्रदेश के विभिन्न विभागों से पूर्व सैनिकों के पदों की मांग पर अक्तूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक हिमाचल प्रदेश, पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा विभिन्न श्रेणियों के लिए पूर्व सैनिकों के साक्षात्कार लिये गये जिनमें Clerk, JOA(IT), Store Keeper व Stenographer **के पद मुख्य हैं ।**

अक्तूबर 2018 से दिसम्बर 2018 तक विभिन्न श्रेणियों में पूर्व सैनिकों के मनोनयन का ब्यौरा इस प्रकार से है :–

Sr No	Name of Designation	Total Nos
1.	JOA (IT)	07
2.	TGT	01
3.	Police constable	04
4.	Driver cum Pump Operator	15 (03 + 12)
5.	Accountant	01
6.	Jail Wardon	02
7.	Junior Auditor	01
8.	Peon-cum-Chodkidar	11
9.	Senior Lab Tech	02
10.	Sr. Asst. Accounts	01
11.	Staff Nurse	01
12.	Statistical Assistant	06
13.	Superintendent (DA)	02
14.	PET	02
15.	Peon	14
16.	Investigator	01
17.	PGT	22
18.	Welfare Organizer	01
19.	Computer Operator	02
20.	Watchmen	06
21.	Lab Asst	02
	Total	**104**

वर्ष 2018 में उपलब्धियाँ

1. वर्ष 2018 में 448 पूर्व सैनिकों का श्रेणी 3 व 4 के पदों पर विभिन्न विभागों की मांग अनुसार पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष द्वारा रोजगार हेतू नामांकन ।
2. 82 नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को विशेष निधि से व 13 नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को झण्डा दिवस निधि से प्रति लाभार्थी 10,000/– रुपये की दर से मुबलिग 9,50,000/– रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता ।
3. सशस्त्र सेनाओं में कार्यरत सैनिकों की आकस्मिक मृत्यु पर उनके 13 परिजनों को प्रति लाभार्थी 15,000/– रुपये की दर से मुबलिक 1,95,000/– रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता ।
4. नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों /उनकी विधवाओं को दी जाने वाली बुढ़ापा आर्थिक सहायता को 500/– रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,000/– प्रतिमाह किया गया, जिससे कि कुल 461 नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाएं लाभान्ति हुए । सरकार द्वारा बुढ़ापा आर्थिक सहायता हेतू 35,000/– रुपये की वार्षिक आय सीमा में 70 वर्ष से अधिक की आयु वाले लाभार्थियों को पूर्ण छूट प्रदान की गई । वर्ष 2018 में कुल 1715 नॉन पैन्शनर पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को मुबलिक 4.98 करोड़ रुपये की बुढापा आर्थिक सहायता की राशि वितरित की गई ।
5. पुनर्निर्माण व पुनर्वास विशेष निधि से विभिन्न प्रकार की छात्रवृतियां प्रदान करने हेतू रखी गई 3.00 लाख रुपये वार्षिक आय सीमा को बढ़ाकर 7.00 लाख रुपये वार्षिक किया गया, जिससे की अधिक से अधिक पूर्व सैनिक वर्ग इस योजना का लाभ ले सकें ।
6. क्वीन मैरी तकनीकी स्कूल, किरकी स्थित पुणे तथा पैराप्लैजिक पुनर्वास केन्द्र मोहाली में प्रशिक्षणारत हिमाचल प्रदेश के विकलांग पूर्व सैनिकों की देखरेख के एवज में दी जाने वाली 85,000/– रुपये वार्षिक प्रति प्रशिक्षणार्थी की सहायता राशि को बढ़ाकर 1.00 लाख रुपये वार्षिक प्रति प्रशिक्षार्थी किया गया । वर्ष 2018 में इन केन्द्रों को हिमाचल प्रदेश के 08 विकलांग पूर्व सैनिकों की देख रेख हेतू कुल 8.00 लाख रुपये की सहायता राशि वितरित की गई ।
7. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में युद्ध जागीरों के बदले 5,000/– रुपये वार्षिक अनुदान की दर से कुल 540 लाभार्थियों को 27.23 लाख रुपये की राशि वितरित की गई ।
8. शौर्य पुरस्कार से सम्मानित सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार नकद ईनाम, वार्षिकी व भूमि के एवज में अनुदान देती है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुल 1001 शौर्य पुरस्कार विजेताओं को 2.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।
9. राज्य सरकार द्वारा वीरता पुरस्कार व युद्ध विधवाओं को हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीलक्स और साधारण बसों में राज्य के अन्दर निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है । हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2018 में कुल 31 शैर्य पुरस्कार विजेताओं व 13 युद्ध विधवाओं को यह सुविधा प्रदान की गई । प्रदेश में कुल 805 शौर्य पुरस्कार विजेताओं व युद्ध विधवाओं को यह सुविधा प्रदान की जा रही है ।
10. हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध में मारे गए व अपंग हुये सशस्त्र सेना कर्मियों, अर्द्धसैनिक बलों व सेना सुरक्षा कोर के सदस्यों के परिजनों को अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाता है । वर्ष 2018 में कुल 40 परिजनों को 2.72 करोड़ रुपये की राशि वितरित की गई ।
11. धर्मशाला में स्थित युद्ध स्मारक में स्थापित करने हेतू सशस्त्र सेना मुख्यालयों से कुल 31 ट्राफियाँ एकत्रित की गई ।
12. केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2018 में निम्नलिखित आवेदन

विभाग द्वारा संस्तुति उपरान्त केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, नई दिल्ली को स्वीकृति हेतू भेजे गए :–

क0स0	योजना	कुल स्वीकृत आवेदन
(क)	हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक के दो बच्चों को कक्षा एक से बी0ए0 तक की शिक्षा हेतू आर्थिक सहायता	2175
(ख)	हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिकों की बेटी की शादी हेतू आर्थिक सहायता	293
(ग)	व्यवसायिक कोर्सों हेतू आर्थिक सहायता	180
(घ)	65 वर्ष से ऊपर के नॉन पैन्शनी पूर्व सैनिकों/उनकी विधवाओं को भरण पोषण अनुदान	69

12. प्रदेश व केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों के कल्याण हेतू चलाई जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतू विभाग द्वारा निम्न माध्यम अपनाए गए हैं :–

(क) शूरवी हितैषी त्रैमासिक विभागीय पत्रिका ।

(ख) विभागीय वैबसाइट(www.hp.gov.in/swd) तथा विभिन्न समाचार पत्र ।

(ग) विभागीय पत्रिका मार्गदर्शिका ।

(घ) प्रदेश व केन्द्र सरकार की योजनाओं की विवरणिका ।

(ङ) प्रदेश में विभिन्न स्थानों पे पूर्व सैनिक सम्मेलनों का आयोजन ।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थाओं में आरक्षण

1. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न इंजिनियरिंग तथा गैर इंजिनियरिंग शिक्षा में पाँच स्थान आरक्षित हैं । पूर्व सैनिकों को प्रवेश के लिये आयु में छूट देकर उनके लिये ऊपरी आयु 45 वर्ष तक है । उपरोक्त स्थानों हेतू पूर्व सैनिक उपलब्ध न होने की स्थिति में यह स्थान पूर्व सैनिकों के बच्चों से भरे जाते हैं ।

2. जे0बी0टी0 कक्षाओं में 15 प्रतिशत आरक्षण ।
3. बी0एड0 कक्षाओं में 15 प्रतिशत आरक्षण
4 प्रदेश में स्थित मैडिकल कॉलेजों तथा डैंटल कॉलेजों में प्रदेश के मूल निवासी पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये तथा सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिये आरक्षण ।
5. इंजिनियरिंग कोर्स के लिये पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिये कुल स्थानों का चार प्रतिशत किन्तु कम से कम एक स्थान आरक्षित ।
6 सरकारी बहुशिल्पी संस्थानों में पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित ।
7. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में स्नातक स्तर के प्रशिक्षण हेतू पूर्व सैनिकों/सेवारत सैनिकों के बच्चों के लिये दो प्रतिशत स्थान आरक्षित । प्रवेश में शौर्य पुरस्कार विजेताओं के बच्चों की वरीयता

हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक निगम द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनायें

1. स्वरोजगार के लिये ऋण. निगम का मुख्य उद्देश्य पूर्व सैनिकों का कल्याण और आर्थिक उत्थान करना है । स्वरोजगार के अर्न्तगत राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाता है । प्रार्थी को योजना की राशि का 75 प्रतिशत धन ऋण के रुप में बैंक प्रदान करता है तथा निगम 10 प्रतिशत सूक्ष्म ऋण के रुप में प्रदान करता है, जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख है और शेष 15 प्रतिशत प्रार्थी को स्वयं व्यय करना पड़ता है । निगम ऋण पर 7 प्रतिशत ब्याज लेता है तथा बैंक ऋण पर 2.5 प्रतिशत ब्याज सहायकी प्रदान करता है ।

2. **सीमेंट / कलींकर की ढुलाई का कार्य.** निगम ने ए0सी0सी0 सीमेंट फैक्टरी बरमाणा में कुल उत्पाद का 40 प्रतिशत सीमेंट उत्तरी भारत के विभिन्न स्थानों में पहुँचाने का कार्य ले रखा है । अम्बूजा सीमेंट दाड़लाघाट में सीमेंट / कलींकर की ढुलाई का 7.5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित है । जे0पी0 सीमेंट प्लांट बागा में भी सीमेंट / कलींकर की ढुलाई का 5 प्रतिशत हिस्सा आबंटित है । उपरोक्त सीमेंट फैक्टरियों में ट्रक अटैच करने के लिये इच्छुक पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों की विधवायें प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में मुख्यालय हमीरपुर में लिस्ट में अपना नाम दर्ज करने के लिये आवेदन कर सकते हैं ।

3. **सुरक्षा सेवाऐं.** हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों को सुरक्षा सेवाओं में आउटसोर्स के आधार पर नियुक्त करने के लिये अधिकृत किया है और पूर्व सैनिकों के नाम विभिन्न विभागों, बोर्डों, संस्थाओं एवं केन्द्रीय / राज्य सरकार के उपक्रमों को प्रायोजक / स्पॉन्सर करने के लिये नोडल ऐजेंसी घोषित किया है । निगम प्रत्येक माह में दो बार दिनांक 15 और 25 को मुख्यालय हमीरपुर में सुरक्षा गार्ड के पदों के लिये भर्ती करता है । यदि इन तारीखों को अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस के दिन भर्ती होती है । इच्छुक पूर्व सैनिक को अपनी Original Discharge Book, Copies of Discharge Book, Saving Bank Account, Aadhar Card and Four passport size photographs साथ लाने होंगे ।

4. **पूर्व सैनिकों एवं सेवारत सैनिकों के बच्चों को एस0एस0बी0 की कोचिंग.** निगम ने पूर्व सैनिकों के बच्चों को एस0एस0बी0 की कोचिंग अधिकृत अकादमी के माध्यम से देने की व्यवस्था की है, जिसके अन्तर्गत एन0डी0ए0, आई0एम0ए0, ओ0टी0ए0, ए0सी0सी0, एस0एल0, टी0जी0सी0, 10+2(टैक्नीकल) कैडेट एन्ट्री व महिला सर्विस एन्ट्री के लिये कोचिंग दी जाती है । कोचिंग में प्रवेश उन्हीं अभ्यर्थियों को दिया जाता है जिन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली हो तथा एस0एस0बी0 साक्षात्कार का इन्तजार कर रहे हों ।

5. **पूर्व सैनिकों के बच्चों का JEE/Engineering and NEET/Medical कोर्स में प्रवेश के लिये कैस कोर्स करवाना.** निगम सेवानिवृत पूर्व सैनिकों (सिपाही से हवलदार तक के रैंक) जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, के बच्चों को JEE/Engineering and NEET/Medical में प्रवेश के लिये अकादमी के माध्यम से क्रैश कोर्स प्रदान करता है । इस योजना के अन्तर्गत सेवानिवृत पूर्व सैनिकों के बच्चों की टयूशन फीस की राशी निगम अपने आय के स्त्रोतों से भुगतान करता है । अभ्यर्थी के 10+1(Physics, Chemistry, Maths and Biology) में 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक होना अनिवार्य है ।

केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाएं

1. भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पूर्व सैनिकों व उनके आश्रितों को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत आर्थिक सहायता के आवेदन के लिये ऑन लाइन वैब पोर्टल www.ksb.gov.in आरम्भ किया हुआ है । आवेदक को ऑन लाईन आवेदन करना होगा । विभिन्न योजनाओं का विवरण इस प्रकार है :–

(क) 65 वर्ष से ऊपर के निर्धनता में जीवन यापन कर रहे नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों को 4,000/– रुपये प्रतिमाह भरण पोषण अनुदान।

(ख) हवलदार/समकक्ष या उसके नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक व उनकी विधवाओं की बेटी की शादी /पूव सैनिकों की विधवाओं के पुनर्विवाह हेतू 50,000/–रुपये प्रति बेटी (दो बेटियों) की दर से आर्थिक सहातया ।

(ग) हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिकों के 100 प्रतिशत अपंग बच्चे हेतू 1000/– रुपये प्रहिमाह आर्थिक सहायता ।

(घ) हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक/विधवा के दो बच्चों को कक्षा एक से बी0 ए0 तक की शिक्षा हेतू 1,000/– प्रतिमाह आर्थिक सहायता ।

(ङ) पूर्व सैनिकों की अनाथ बेटी, हवलदार/समकक्ष या उसके नीचे के रैंक के 100 प्रतिशत अपंग पूर्व सैनिक/पूर्व सैनिकों की विधवाओं को प्राकृति आपदा के कारण क्षतिग्रस्त मकान की मुरम्मत हेतू लगभग 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता ।

(च) हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिक जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती हो तथा इलाज सरकारी अस्पताल से हो, ऐसे नॉन पेंशनर पूर्व सैनिकों की चिकित्सा हेतू 30,000/– रुपये प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता ।

(छ) विधवा व पूर्व सैनिक हवलदार/समकक्ष या उससे नीचे के रैंक के पूर्व सैनिकों के बच्चे जिन्होंने पिछले साल एन0डी0ए0 में प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, ऐसे बच्चों को 1,000/– रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ।

(ज) पूर्व सैनिक के अनाथ बच्चे (लड़के की आयु 21 वर्ष से कम व लड़की अविवाहित होनी चाहिये) को 1,000/– रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता ।

(झ) पूर्व सैनिकों की विधवाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण हेतू 20,000/– रुपये तक की आर्थिक सहायता ।

(ञ) हवलदार/समकक्ष या उससे कम रैंक के पूर्व सैनिक की मृत्यु उपरांत अन्तिम संस्कार हेतू 5,000/– रुपये की आर्थिक सहायता ।

(ट) नॉन पेंशनर पूर्व सैनिक/विधवा को गम्भीर बिमारी के लिए 1,25,000/– तक प्रति वर्ष गम्भीर बिमारी के लिये चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा लगभग 75,000/– रुपये वार्षिक (कैंसर व डायालिसीस के इलाज हेतू) आर्थिक सहायता ।

(ठ) सेवानिवृति के उपरान्त अपंग हुये सैनिकों को, जिनकी अपंगता 50 प्रतिशत या उससे अधिक हो और जो दो पहिया वाहन (Mobility Equipment) चलाने के योग्य हों और किसी योजना के अंतर्गत लाभ न लिया हो, को दो पहिया वाहन (Mobility Equipment) के लिये 57,500/– रुपये तक की आर्थिक सहायता ।

(ड) पूर्व सैनिकों/सैनिक विधवाओं के बच्चे जो व्यवसायिक प्रशिक्षण ले रहे हैं और उन्होंने बारहवीं/न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में 60 प्रतिशत या इससे अधिक अंक हों, प्रधानमंत्री छात्रवृति योजना के अंतर्गत लड़के हेतू 24,000/– रुपये व लड़की हेतू 27,000/–रुपये वार्षिक छात्रवृति का प्रावधान है

<u>नोट</u> : अधिक जानकारी के लिये केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेब साइट www.ksb.gov.in देख सकते हैं ।

राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश

1. परिचयः कॉलेज मुख्य रूप से उन लड़कों के लिए आवासीय सार्वजानिक विद्यालयों की तर्ज पर शिक्षा प्रदान करता है जो भारत की रक्षा बलों में शामिल होने की इच्छा रखते हैं। हर छह महीने में लगभग 25 कैडेटों को राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कॉलेज में प्रवेश दिया जाता है। अभ्यर्थियों की आयु 11.5 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए तथा प्रवेश वाले वर्ष में 01 जनवरी या 01 जुलाई को 13 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिये। प्रवेश केवल आठवीं कक्षा में दिया जाता है। उम्मीरवार कक्षा सात में पढ़ाई कर रहे हैं या शामिल होने के समय एक मान्यता प्राप्त स्कूल से कक्षा सात पास होना चाहिए। आवेदन पत्र राज्य सरकार को जमा किए जाते हैं। अभ्यर्थियों को वर्ष में दो बार आयोजित अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर चुना जाता है।

2. सूचीपत्र प्रॉस्पेक्टस सह आवेदन पत्र और पुरानी प्रश्न पत्रों की पुस्तिकाः सूचीपत्र प्रॉस्पेक्टस सह आवेदन पत्र और पुरानी प्रश्न पत्रों की पुस्तिका राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज गढ़ी कैंट देहरादून उत्तराखंड पिन 248003 से स्पीड पोस्ट के माध्यम से बैंक डिमांड ड्राफट 600 रूपये भेजकर प्राप्त कर सकते हैं। डिमांड ड्राफट The Commandant RIMC Dehradun, Branch SBI Tel Bhawan, Dehradun, Bank Code-01576, Uttrakhand के पक्ष में होना चाहिये। लिफाफे पर प्रार्थी का पता, पिन कोड और संपर्क न0 स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहियें। केवल आरआईएमसी द्वारा जारी आवेदन पत्र ही वैध होंगे।

3. प्रवेश परीक्षाः

क) लिखित परीक्षाः के लिखित भाग में तीन विषयों अर्थात अंग्रेजी 125 अंक गणित 200 अंक और सामान्य ज्ञान 75 अंक शामिल हैं। गाणित और सामान्य ज्ञान पत्रों का उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में भी दिया जा सकता है। अर्हता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को प्रत्येक विषय में कम से कम 50 अंक प्राप्त करने होंगे।

ख) मौखिक परीक्षा (Viva Voice): मौखिक परीक्षा में 50 अंकों का **(Viva Voice)** परीक्षण होता है जिसे उम्मीदवार की बुद्धि, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास का आकलन करने के लिए डिजाइन किया गया है।

ग) चिकित्सा परीक्षाः साक्षात्कार के बाद योग्य उम्मीदवारों को चयनित सैन्य अस्पताल में मेडिकल परीक्षा से गुजरना होगा और केवल उन उम्मीदवारों को चिकित्सकीय फिट मिलेगा जिन्हें आरआईएमसी में चयन और प्रवेश के लिये माना जाएगा। उम्मदिवारों की मैडिकल परीक्षा चयन प्रणाली की केवल एक हिस्सा है और अंतिम चयन की गारंटी नहीं देती है।

4. निकासीः उम्मीदवार को किसी भी समय माता–पिता द्वारा या कॉलेज के फैसले से अनुरोध पर वापस लिया जा सकता है।

नोटः अधिक जानकारी के लिये भारतीय राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून की वेबसाइट rimc.gov.in देखें। फोन नं0 0135 275 2083 भी सम्पर्क कर सकते हैं।
Email: rimcollege@yahoo.com

तेल उत्पाद एजेंसी के आवंटन के लिए पूर्व सैनिकों की पात्रता

1. मुख्य विशेषताएं. इस स्कीम के अन्तर्गत तेल उत्पाद एजेंसी का 8 प्रतिशत कोटा पूर्व सैनिकों/विधवाओं/आश्रितों के लिये आरक्षित है । इसके अन्तर्गत रसोई गैस एजेंसी डीलरशिप, पेट्रोल/डिजल आउटलेट, जिसमें किसान सेवा केन्द्र (के0एस0के) और एस0के0ओ0/एल0डी0ओ0 भी शामिल हैं ।

2. पात्रता मापदंड. इसके लिये निम्न पूर्व सैनिक/विधवाऐं/उनके आश्रित पात्र हैं :–

(क) वरियता–I. वीरता पुरस्कार विजेताओं की विधवा/उनके आश्रित ।
(ख) वरियता–II. युद्ध में शहीद सैनिक की विधवा/उनके आश्रित ।
(ग) वरियता–III. युद्ध में अपंग हुये सैनिक ।
(घ) वरियता–IV. सेना सेवा के दौरान डयूटी करते समय मारे गये सैनिकों की विधवा/आश्रित ।
(ड) वरियता–V. शान्ति काल में सेना सेवा के कारण अपंग हुये सैनिक ।

2. पात्रता प्रमाणपत्र. जब भी तेल कम्पनी द्वारा समाचार पत्र में विशेष जगह के लिये एजेंसी से सम्बन्धित विज्ञापन प्रकाशित किया जाता है तो पात्र सैनिक/विधवा/आश्रित पात्रता पत्र व अन्य सम्बन्धित कागजात के लिये पुनर्वास महानिदेशालय से सम्पर्क कर सकता है । पात्रता पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित तेल एजेंसी को आवेदन कर सकते हैं । किसी विशेष जगह के लिये वितरण/डीलरशिप के लिये सूची में नाम पंजीकरण करना, साक्षातकार, चयन और आशय पत्र देना सम्बन्धित तेल कम्पनी का विशेषाधिकार है । ज्यादा जानकारी के लिये तेल कम्पनियों की वेब साइट www.bharatpetroleum.com, www.hindustanpetroleum.com, www.iocl.com देख सकते हैं ।

3. आवेदन करने की प्रक्रिया. पात्रता पत्र प्राप्त करने के लिये जिला सैनिक कल्याण कायार्लय के माध्यम से निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं

(क) अस्पताल या मुख्यालय द्वारा जारी सैनिक का मृत्यु प्रामाण पत्र
(ख) प्रमाणपत्र कि मृत्यु सेना सेवा के कारण हुई है ।
(ग) वीरता पुरस्कार प्रमाणपत्र, यदि लागू है ।
(घ) प्रमाणपत्र कि अपंगता सेना सेवा के कारण हुई है ।
(ङं) रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक द्वारा जारी पैंशन आर्डर (पी0पी0ओ)।
(चं) डिस्चार्ज बुक या रिटायरमेंट आर्डर ।
(चं) आवेदक का दसवीं पास प्रमाणपत्र (रसोई गैस एजेंसी के लिये) ।
(छं) समाचार पत्र की कापी जिसमें तेल एजेंसी की जगह और आवेदन करने की अन्तिम दिनांक प्रकाशित है ।
(जं) पूर्व सैनिक/विधवा/आश्रित का पहचान पत्र की कापी।
(झं) आवेदक का दस रुपये के स्टांप पेपर पर संकल्प पत्र जोकि नोटरी द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिये ।
(ट) यदि आश्रित है तो विधवा और दूसरें आश्रितों से त्याग विलेख दस्तावेज ।
(ठ) आवेदक का पासपोर्ट फोटोग्राफ (प्रत्येक जगह के लिये एक फोटोग्राफ) ।

(ण) प्राधिकार प्रमाणपत्र यदि दूसरे व्यक्ति द्वारा पात्रता पत्र प्राप्त किया जायेगा । प्राधिकार पत्र पर उस व्यक्ति का फोटो लगा होना चाहिये और आवेदक का हस्ताक्षरित और जिला सैनिक कल्याण कायार्लय / नोटरी / राज्य सैनिक बोर्ड द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना चाहिये ।

4. आवेदन पत्र का प्रारुप व एफिडेविट डी0जी0आर0 की वेव साइट www.dgrindia.com से लिये जा सकता है ।

आर्मी इंस्टीटयूट ऑॅफ लॉ में बी0ए0एल0एल0बी0 कानून प्रवेश परीक्षा

1. **परिचय**. आर्मी इंस्टीटयूट ऑफ लॉ की पटियाला में स्थित है और पंजाबी विश्वविद्यालय से सम्बंध है । यह कानून में स्नातक और स्नातकोतर पाठ्यक्रम दोनों प्रदान करता है ।

2. **प्रवेश परीक्षा**. प्रवेश परीक्षा आमतौर पर जुलाई में आयोजित की जाती है । इस संस्थान के नियम अनुसार कानून प्रवेश परीक्षा केवल सेना कार्मिक, पंजाब निवासी नागरिक श्रेणी और अखिल भारतीय नागरिक श्रेणी के बार्डों के लिये है ।

3. **बी0ए0एल0एल0बी0 कोर्स के लिये पात्रता**. उम्मीदवारों ने मान्य प्राप्त स्कूल से न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उर्तीण की होनी चाहिये । उम्मीदवार जो मार्च / अप्रैल में 12वीं की परीक्षा में शामिल होंगें वो भी प्रवेश परीक्षा में शामिल हो सकते हैं ।

4. **<u>एम0एल0एम0 कोर्स के लिये पात्रता</u>**. बी0ए0एल0एल0बी0 पांच साल या एल0एल0बी तीन साल में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंकों से उर्तीण उम्मीदवार आवेदन करने के पात्र होंगे ।

5. **<u>श्रेणी के अनुसार पात्रता मापदण्ड</u>**.

(क) **<u>सेना कार्मिक के आश्रित</u>**. सैनिक द्वारा कम से कम 10 साल सेना सेवा की हो ।

(ख) **<u>पंजाब के नागरिक</u>**. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि वो पंजाब निवासी श्रेणी में आता है और इससे सम्बन्धित दस्तावेज साथ होना चाहिये ।

(ग) <u>अन्य श्रेणी</u>. भारत का नागरिक होना चाहिये ।

<u>Note</u> : For more details please visit website : www.ail.ac.in

केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह, नारेणा (नई दिल्ली)

1. रक्षा मंत्रालय द्वारा सैनिकों व उनके आश्रितों की सुविधा के लिये नारेणा (नई दिल्ली) में केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह स्थापित किया गया है । इस विश्रामगृह में सेनाधिकारियों व अन्य सैनिकों के ठहराव के लिये उचित प्रबन्ध किया गया है, जिसका ब्योरा निम्न प्रकार से है :–

(क) सेनाअधिकारी – दो बिस्तर वाले 10 कमरे ।

(ख) जे0सी0ओज0 – दो बिस्तर वाले 05 कमरे व 08बिस्तर वाले दो शयनगृह ।

(ग) जवान – दो बिस्तर वाले 05कमरे व 08 बिस्तर वाले दो शयनगृह ।

(घ) भोजन कक्ष ।

(ङ) सम्मेलन हॉल / बहुउद्देशीय हॉल / मिनी हॉल ।

2. <u>पात्रता</u>.

(क) पूर्व सैनिक / उनके आश्रित, सैनिक जो दिल्ली में पुर्नवास कोर्स कर रहे हैं और सेवारत सैनिक व उनके आश्रित, यदि जगह उपलब्ध है, के लिये ।

(ख) सैनिक बोर्ड की मीटिंग / या अन्य मीटिंग के लिये।

(ग) भर्ती मेला / रैली, युद्ध विधवाओं की मीटिंग, सेना पेन्शन अदालत, वीरता पुरस्कार विजेतों की मीटिंग / सेमिनार के लिये ।

(घ) सैनिक वयावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र / पुर्नवास प्रशिक्षण के लिये ।

(ङ) पूर्व सैनिकों, विधवााओं और गैर सैनिकों की शादी या अन्य सामाजिक कार्यक्रमों के लिये । इसके लिये निर्दिष्ट दर का भुगतान करना होगा ।

(च) पूर्व सैनिकों के हित के सम्बन्ध में अन्य कार्यक्रम के लिये ।

3. <u>बुकिंग</u>. इसमें ठहरने या अन्य कार्यक्रम के लिये आवेदन 15 दिन पहले किया जा सकता है । सेनाअधिकारी, जे0सी0ओं0 व अन्य जवान एक दिन पहले बुकिंग करवा सकते हैं । बुकिंग केन्द्रीय सैनिक बोर्ड की वेब साइट <u>www.ksv.gov.in</u> द्वारा सभी कार्य दिवस के दिन 1030 बजे से 1530 बजे तक आनॅ लाइन होगी । इसके लिये पैसा POS/NEFT/Paytm द्वारा अग्रिम जमा करवाना होगा ।

<u>नोंट :</u> **ज्यादा जानकारी के लिये केन्द्रीय सैनिक विश्रामगृह के टेलिफोन नं0 011–25777049 पर सम्पर्क कर सकते है ।**

पेंशन से सम्बंधित जानकारी

1. Linkage of full pension with 33 years qualifying services has been dispensed with from 01 Jan 2016.
2. Pension will be 50% of pay last drawn or average emolument drawn during the last 10 months whichever is beneficial. Minimum service for pension is 15 years.
3. Amount of pension shall not be less 50% of the sum of the minimum of may in pay matrix, MSP, classification allowance and X group pay, if any.
4. Emoluments. Pay in pay matrix + MSP + Classification Allowance + X Group Pay, if any.
5. Gratuity. Maximum amount of gratuity/death gratuity has been raised to 20 lacs.
6. Commutation. There is no change in commutation table and purchase value. Maximum percentage of pension to be commuted is 50%.

7. Pension Limit.

(a)	Minimum pension	- Rs. 9000/- pm.
(b)	Maximum pension	- Rs. 1,25,000/-pm.
(c)	Minimum family pension	- Rs. 9000/-pm.
(d)	Maximum family pension(enhanced rate)	- Rs. 1,25,000/- pm.
(e)	Maximum family pension(normal rate)	- Rs. 75,000/-pm.

8. In case of death while in service, enhanced rate of OFP will be payable for a period of 10 years, without any upper age limit from the date of following the date of death of the personnel, to the family of deceased. In case of childless widow, OFP will continue even after his/her remarriage and shall cease once his/her independent income from all the sources become equal to or higher than the minimum prescribed family pension.

9. The dependency criteria for purpose of family pension to parents/child shall be the minimum family pension alongwith dearness relief thereon.

10. Additional Pension/Family Pension for Pensioners of 80 years and above. The additional pensions is admissible to all service/family/disability pensioner as follows :-

Age of Pensioner/Family Pensioner	Additional Pension Entitled
From 80 years to less than 85 years	20% of revised basic pension/family pension
From 85 years to less than 90 years	30% of revised basic pension/family pension
From 90 years to less than 95 years	40% revised basic pension/family pension
From 95 years to less than 100 years	50% revised basic pension/family pension
100 years or more	100% revised basic pension/family pension/full pension

HEIRS AND THEIR ELIGIBILITY FOR FAMILY PENSION

Ser No	**Heir**	**Remarks**
1.	Widow	For Life.
2.	Son	Till 25 year of age or upto the date of earning exceeds Rs. 9000/- pm or date of marriage whichever is earlier.
3.	Widowed/Divorced and unmarried Daughter	Upto the date of earning exceeds Rs. 9000/- pm or marriage/re-marriage whichever is earlier or otherwise for life.
4.	Mentally/Physically challenged son/daughter	Upto the date of earning exceeds Rs. 9000/- pm otherwise for life.
5.	Parents(Mother and Father)	For life to parents whose income from all other sources is less than Rs. 9000/- pm

PERSONS NOT ENTITLED FOR PENSION

1.	**Service Penion.**	
	(a)	Personnel who have rendered less than 15 years of qualifying service.
	(b)	Personnel who are discharged in large number in pursuance of Govt policy with less than 15 years of qualifying service without sanction of President.
	(c)	World War veterans who have rendered less than 15 years of qualifying service and where retrenched from service.
	(d)	Honorary rank pension is not admissible to those who are conferred Hony Rank after the date of discharge except Hony Nb Sub.
	(e)	Personnel who are dismissed from service under Army Act 1950.
	(f)	Personnel who are declared deserter.
2.	**Family Pension**.	
	(a)	No family pension is admissible in cases where the ex-serviceman was not pensioner on the date of his date.
	(b)	Two family pensions are not admissible for the same person and same casualty.
	(c)	Family pension is not admissible to the second widow whom the deceased had married during the life time of the first widow.
	(d)	Family pension is not admissible to parent where deceased has left behind widow and children.
3.	**Disability Pension**.	
	(a)	No disability pension is admissible to those whose invaliding disability has been rejected or accepted at less than 20%.
	(b)	Those who are discharged at their own request.
	(c)	Disability pension sanction for a limited period can not be continued unless a fresh PPO is issued on recommendation of a Re-Survey Medical Board.

रक्षा पेंशन संपर्क केन्द्र

1. सितम्बर 2011 में रक्षा पेंशन संपर्क केन्द्र, इलाहाबाद की स्थापना मुख्यालय मध्य प्रदेश, छतीसगढ़ और इलाहाबाद सब ऐरिया में की गई थी । अब इस मुख्यालय का नाम मुख्यालय पूर्व उतर प्रदेश और मध्य प्रदेश सब ऐरिया है । रक्षा पेंशन संपर्क केन्द्र का मुख्य उदेश्य सेना के सेवारत/पूर्व सेना अधिकारियों, पूर्व जे0सी0ओज0, जवानों, युद्ध विधवाओं, विधवाओं व उनके आश्रितों और रक्षा असैनिक कर्मचारियों की पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान या निपटारा करना है ।

2. यह संपर्क केन्द सेना मुख्यालय और रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद के मध्य संपर्क एजेंसी का कार्य करता है ताकि सेना के सेवारत/पूर्व सेना अधिकारियों, पूर्व जे0सी0ओज0, जवानों, युद्ध विधवाओं, विधवाओं व उनके आश्रितों और रक्षा असैनिक कर्मचारियों की पेंशन से सम्बन्धित शिकायतों का समाधान या निपटारा जल्दी से जल्दी किया जा सके ।

3. नवम्बर 2015 में रक्षा पेंशन मेलजोल केन्द्र का नाम बदलकर रक्षा पेंशन संपर्क केन्द्र कर दिया गया है और इस केन्द्र को रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक (पेंशन), इलाहाबाद के कम्पलैक्स में ले जाया गया है । यह सोमवार से शुक्रबार तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है ।

4. अगर पेंशन से सम्बन्धित कोई समस्या है तो इस सम्पर्क केन्द्र से शिकायत कर सकते हैं । जब भी शिकायत करनी हो तो निम्न ब्योरा अवश्य लिखें :–

(क) पेंशन आने की तिथि और पहले पी0पी0ओ0 का नम्बर ।

(ख) बैंक का नाम जहां से पेंशन लेते हैं और बैंक खाता संख्या।

(ग) मोबाइल नं0 और ई–मेल आई0डी0 ।

5. संपर्क सम्बन्धित ब्योरा निम्न अनुसार है :–

(a) Cont. No of OIC DPCC - 9129055223
(b) Fax Number - 0532-2423486
(c) Email ID - dplcpcdap@gmail.com
- liaison.1986@gov.in
(d) Postal Address - Defence Pension Contact Centre c/o HQ Purva UP & MP Sub Area PIN-900334, c/o 56 APO

Tele : 26182117

Integrated HO of Min of Def (Army)
Quartermaster General's Branch
Canteen Services Directorate
Wing-III, West Block-3, RK Puram
New Delhi-110066

No. 95350/Q/DDGCS/Policy

04 May 2018

HQ Sourthern Command (OL)
HQ Central Command (OL)
HQ Northern Command (OL)
HQ Sourth Western Command (OL)
Air HQ(Accts)
HQ DG Assam Rifles
HQ DGBR (Q)
HQ Eastern Command (OL)
HQ Western Command (OL)
HQ ARTRAC (Q)
Naval HQ(PDPS)
HQ SFC, HQ IDS, HQ ANC
HQ Coast Guard (AD)
DIAV, KSB

POLICY: DEPENDENT CANTEEN SMART CARD (GOCERY)

. Refer CS Dte letter No 95286/Q/SG/DDGCS dated 26 Sep 2012.

2. Due to exigencies of services, dependent canteen smart cards (gocery only) have been authorized to dependents of Armed Forces personnel (serving and retired) only. Feedback has been received from the environment wrt misuse of dependent canteen smart cards by few beneficiaries. Following issues are reiterated :-

(a) Dependent cards may be applied on need basis only. Further, dependent canteen cards will not be used as identity cards. Dependent cards will only be used for gaining access to Unit Run Canteens.

(b) Following dependents of Armed Forces personnel (serving & retired) only are entitled for dependent canteen smart cards(grocery only) :-

(i) Parents of Armed Forces personnel (serving and retired) (only if dependent, as per official records).

(ii) Daughter. Upto the age of 25 years or till getting married (whichever is earlier). Unmarried /Widow/dirvorcee daughters if dependent are also entitled irrespective of age. The eligibility will be verified by the URC through official records.

(iii) Son.Upto the age of 25 years or till getting employed (whichever is

earlier).The eligibility will be verified by the URC through official records.

3. Only two dependent grocery cards are entitled for a beneficiary. The onus of furnishing authentic data lies with the primary grocery card holder. URCs/Local military authority (LMA) will carry out check wrt authenticity/eligibility of dependent canteen smart cards.

4. Further, entitlement of dependent grocery canteen smart cards to children below 10 years of age has been done away with, with immediate effect.

5. This letter may please be disseminated to all URCs under command.

6. All previous policy/advisory on the subject matter are hereby superseded.

Sd/xx
(Naveen N)
Lt Col
JD CS
For DDGCS

Tele : 26182117

Integrated HO of Min of Def (Army)
Quartermaster General's Branch
Canteen Services Directorate
Wing-III, West Block-3, RK Puram
New Delhi-110066

No. 95350/Q/DDGCS/Policy 17 Sep 2018

HQ Sourthern Command (OL)	HQ Eastern Command (OL)
HQ Western Command (OL)	HQ Northern Command (OL)
HQ Central Command (OL)	HQ Sourth Western Command (OL)
HQ ARTRAC (Q)	Naval HQ(PDPS), Air HQ (Accts)
HQ DGNCC(F&A)	HQ SFC, DG Assam Rifles
HQ IDS, HQ ANC	HQ Coast Guard (AD)
HQ DGBR(Q), DRDO(DMS)	OFB, E in C Branch
DIAV, KSB	

REVISED POLICY : PROCESSING OF CANTEEN SMART CARD APPLICATION OF EX-SERVICEMEN

1. Refer CS Dte letter No 95350/q/ddgcs/2018/Policy dated 11 Apr 2018 wrt Processing of Canteen Smart card.

2. Representations have been received from the environment wrt delay in processing of smart card applications. Based on inputs received from Ex-servicemen, revised procedure wrt processing of ESM Canteen smart card applications is enumerated below :-

(a) ESM will apply for the new Canteen Smart card(against cards which are expiring), six months prior to the expiry of the card, at the nearest URC. The date of expiry of card is mentioned in the bills generated by URCs. Also, all cards issued after 01 Aug 18 have the date of expiry embossed on the card itself.

(b) ESM applications will be marked as "ESM" and dispatached separately by the URCs to M/S SCPLthrough respective CCTSC.

(c) New cards will be issued to URCs by M/S SCPL 30 days prior to the expiry of the old card, so that there is no time delay in making the new card and the ESM will be able to avail the facility without any inconvenience. However, the new card can only be activated after old card expires, in order to prevent likely chances of misuse.

(d) ESM will not pay any amount, while depositing the application with the URC. ESM will pay the amount(as applicable) to the URC only while collecting the new Canteen Smart card from the URC.

3(e) The amount of such ESM cards will be paid to M/S SCPL by URCs from their operating expenses in advance, alongwith the applications being forwarded.

3. This letter may please be disseminated to all URCs/ZSWB/ESM under respective command.

Sd/xx
(Naveen N)
Lt Col
JD CS
For Brig CS

Lessons

Do away with medals
Poppies and remembrance parades
Those boys were brave, we know
But look where it got them

Reduced to line after perfect line
Of white stones
Immobile, but glorious, exciting
To kids who haven't yet learned
That bullets don't make little red holes

They rip and smash and gouge
And drag the world's dirt behind them
Remember lads, you won't get laid
No matter how good your war stories

If you're dead
So melt down the medals
Fuel the fire with paper poppies, war books and
Arnie films
Stop playing the pipes, stop banging the drums
And stop writing poems about it.

निदेशालय सैनिक कल्याण विभाग, हिमाचल प्रदेश
स्थित हमीरपुर–177001
शूरवीर हितैशी पत्रिका लेने हेतू – अभिदान फार्म
(Subscription Form)

1. Army No ______________________
2. Rank ______________________
3. Name ______________________
4. Mobile Number ______________________
5. Permanent Home Address :
   (जहाँ पत्रिका लेने चाहते हैं) ______________________
   ____
6. Pin Code ______________________
7. Subscription Amount ______________________
   (For life Rs. 500/-)
8. Mode of Payment : Bank draft in favour of the Editor
   Shurveer Hitaishi Patrika HP at Hamirpur

Place :

____

Dated :

(Signature of the Applicant)

पूर्व सैनिकों के सिर्फ पांच बच्चों को चाहिए वजीफा!

▪ तीन वर्षों में अब तक का सबसे कम आंकड़ा

▪ सैनिक बोर्ड असमंजस में पिछले साल अक्तूबर तक आई थी 70 एप्लीकेशन

"अब तक प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना के लिए सिर्फ पांच आवेदन प्राप्त हुए हैं। अक्तूबर माह तक पिछले वर्षों के मुकाबले यह सबसे कम आंकड़ा है। 15 नवंबर तक योजना के लाभ को लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं
ब्रिगेडियर एसके वर्मा
निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड"

स्कॉलरशिप से हटा इन्कम का पेंच

दिव्य हिमाचल

divyahimachal.com

एमबीबीएस डिग्री के लिए हवलदार रैंक तक के सैनिकों के बच्चों को मिलेगा पूरा लाभ, फंसी थी राहत योजना

दो पैराप्लेजिक सेंटर्ज में 8 अपंग पूर्व सैनिक

▪ तीन लाख से बढ़ाकर सात लाख की आय सीमा

77 परीक्षा केंद्रों में 12701 ने दिया टेट

प्रदेश की दो बिरो...

बिलासपुर में 1.74 करोड़, नाह...

150 पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती करेगा विभाग

अमर उजाला ब्यूरो

जेओए के 30, लिपिकों के 40 और 80 अन्य पदों पर होगी भर्ती

हमीरपुर। प्रदेश सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न विभागों में 150 पदों पर पूर्व सैनिकों की भर्ती करेगा। विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले इन पदों के विभाग जल्द ही शेड्यूल तय किया जाएगा।

इसके लिए विभाग पूर्व सैनिकों को कॉल लेटर भेजकर भर्ती की तिथि सहित अन्य जानकारी प्रदान करेगा। फिलहाल विभाग इन पदों के पात्र पूर्व सैनिकों की सूची तैयार कर रहा है। सूची तैयार करने के बाद इन्हें कॉल लेटर भेजकर साक्षात्कार को बुलाया जाएगा। विभाग की ओर से विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, लिपिक और मैट्रिक लेवल कर्मचारियों के पद भरे जाएंगे। इनमें जेओए के 30, लिपिकों के 40 और मैट्रिक लेवल कर्मचारियों के करीब 80 पद भरे जाएंगे।

विभिन्न विभागों में जेओए के अधिकतर पद खाली चल रहे हैं। पूर्व सैनिकों के कोटे से भरे जाने वाले जेओए के पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी कम मिल रहे हैं। इस कारण हर बार जेओए की निकलने वाली भर्ती के पूरे पदों पर पूर्व सैनिक नहीं तैनात हो रहे हैं। इन पदों के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है।

पूर्व सैनिक किसी भी संस्थान से डिप्लोमा कर रहे हैं। विभाग ने पूर्व सैनिकों से किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से ही डिप्लोमा करने की अपील की है। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के कोटे से करीब 150 पद भरे जाएंगे। इसके लिए विभाग पात्र पूर्व सैनिकों की सूची तैयार कर रहा है। जल्द ही उन्हें कॉल लेटर जारी कर साक्षात्कार की तिथि सहित अन्य जानकारी दी जाएगी।

200 पूर्व सैनिकों की बेटियों का विवाह करवाएगा विभाग

उमेश कुमार शर्मा

सैनिक कल्याण विभाग के पास विवाह के लिए पहुंचे आवेदन

हमीरपुर। सैनिक कल्याण विभाग दो सौ पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी करवाएगा। इसके लिए हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों ने विभाग के पास आवेदन किया है। इनमें से सैनिक कल्याण विभाग ने दो सौ आवेदन स्वीकृत कर आगामी प्रक्रिया के लिए भेज दिए हैं। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से अब इन पूर्व सैनिकों के आवेदनों के लिए राशि जारी की जाएगी।

जो संबंधित पूर्व सैनिक के खाते में ही आएगी। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों की दो बेटियों की शादी के लिए 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे पूर्व भी विभाग ने दो सौ के करीब पूर्व सैनिकों की बेटियों के लिए आर्थिक सहायता दी है।

इस सहायता को पाने के लिए पूर्व सैनिकों को विभाग के पास आवेदन करना होता है। पूर्व सैनिक को पहले अपने संबंधित उपनिदेशक सैनिक कल्याण कार्यालय में आवेदन करना होता है। इसके बाद उपनिदेशक कार्यालय से आवेदन को प्रमाणित कर सैनिक कल्याण निदेशालय भेजा जाता है।

जहां से आवेदन को दोबारा चेक कर केंद्रीय सैनिक बोर्ड के लिए भेजा जाता है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड से इन आवेदनों के अनुसार प्रत्येक पूर्व सैनिक के खाते में बेटी की शादी को राशि डाली जाती है। इस संबंध में सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक-ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि विभाग ने 200 पूर्व सैनिकों की बेटियों की शादी के आवेदन स्वीकृत कर दिए हैं। जल्द ही इनके बैंक अकाउंट में सहायता राशि डाल दी जाएगी।

पूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं की वृद्धावस्था पेंशन को हटी आय शर्त

अधिसूचना जारी, 35 हजार से कम वार्षिक आय की लगाई थी शर्त

अमर उजाला ब्यूरो

शिमला। हिमाचल सरकार ने पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए वृद्धावस्था पेंशन के लिए रखी आय शर्त हटा दी है। अब तक इसके लिए 35 हजार रुपये से कम की वार्षिक आय शर्त रखी गई थी।

अब ऐसी कोई शर्त नहीं होगी। दूसरे विश्व युद्ध में हिस्सा लेने वाले सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी आय की यही शर्त थी, जो अब नहीं होगी। इस प्रावधान का लाभ प्रदेश के लाखों पूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं को होगा।

दूसरे विश्व युद्ध के सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए भी नहीं होगी शर्त

सुविधा | सैन्य अफसरों और सैनिक कल्याण बोर्ड के मध्य विशेष बैठक

हिमाचल में सेना भर्ती कोचिंग अकादमी जल्द

▪ दिव्य हिमाचल ब्यूरो, शिमला

▪ मंत्री महेंद्र सिंह बोले, सेना में प्रदेश से ज्यादा युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाना लक्ष्य

सेना में सिपाही से लेकर अधिकारी तैयार करने के लिए प्रदेश में जल्द ही राज्य स्तरीय अकादमी की स्थापना की जाएगी। राज्य सरकार ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र सिंह ने बुधवार को सैन्य अधिकारियों और सैनिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश में अकादमी खोलने के पीछे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सोच है। उन्हीं के निर्देशानुसार यह विशेष बैठक आयोजित की गई। अकादमी का उद्देश्य भारतीय सेना में प्रदेश से अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित बनाना है। इसके अतिरिक्त, राज्य से सेना में अधिकारियों की संख्या को बढ़ाना भी है। भर्ती अकादमी सेना के लिए ऐसे पढ़े-लिखे युवाओं को प्रोत्साहित व तैयार करेगी, जो गरीब व ग्रामीण परिवेश से आते हैं और थोड़े सी कमियों के कारण भर्ती नहीं हो पाते हैं। अकादमी में बच्चे की योग्यता के अनुसार सिपाही से लेकर एसएसबी तक की कोचिंग की सुविधा होगी। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि अकादमी में दूर-दराज व दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों को भर्ती रैलियों के लिए तैयार कर सेना में उनका प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाएगा। कोचिंग प्रशिक्षित सेना अधिकारियों द्वारा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला स्तर पर उपायुक्तों की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जा चुका है। संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा उपनिदेशक उच्च शिक्षा समिति के सदस्य होंगे। समितियां बच्चों को उनकी योग्यता के अनुरूप कोचिंग के लिए प्रेरित करेंगी और समाज में इस संबंध में जागरूकता भी उत्पन्न करेंगी। इसके अलावा समितियां भर्ती रैलियों में भी मदद करेंगी। इन सभी कार्यकलापों का खर्च राज्य सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा वहन किया जाएगा। सैनिक कल्याण मंत्री ने स्कूल शिक्षा बोर्ड से बच्चों के प्रमाणपत्र समयबद्ध सत्यापित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने सत्यापन शुल्क को मौजूदा 600 रुपए से 300 रुपए करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि समय पर शैक्षिक प्रमाण पत्र व सत्यापन न किए जाने से बहुत से पात्र बच्चे सेना में भर्ती से वंचित रह जाते हैं। उन्होंने भर्ती निदेशकों से कहा कि उन्हें यदि राज्य में भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी विभाग से कोई समस्या आती है, तो इस संबंध में सचिव अथवा निदेशक सैनिक कल्याण बोर्ड को सूचित करें। वहीं सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड डा. आरएन बत्ता ने कहा कि अकादमी खोलने को लेकर सभी आवश्यक औपचारिकताएं शीघ्र पूरी की जाएंगी। इस संबंध में समीक्षा बैठक नवंबर माह में शिमला में आयोजित होगी।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में रु... नहीं दिखा रहे पूर्व सैनिकों के बच...

बीते चार सालों में इस साल आए सबसे कम आवेदन, बच्चों का नहीं रुझ...

अमर उजाला ब्यूरो

हमीरपुर। केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ओर से संचालित प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में सूबे के पूर्व सैनिकों के बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे हैं। बीते चार सालों की तुलना में इस साल इस छात्रवृत्ति के लिए सबसे कम आवेदन आए हैं।

हालांकि, सैनिक कल्याण विभाग अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार भी करता है, इसके बावजूद पूर्व सैनिक और उनके बच्चों को विभिन्न योजनाओं का पता नहीं चल पा रहा है।

प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना के लिए वर्ष 2014 में 48, वर्ष 2015 में 72, 2016 में 82 और 2017 में 108 आवेदन आए है। इस वर्ष ...

विभाग ने इस बार 200 बच्चों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा है। जानकारी के अभाव में जो पूर्व सैनिकों के बच्चे इस छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने से वंचित रह गए हैं, वह अंतिम तिथि 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी व्यावसायिक कोर्स के प्रथम सत्र के दौरान आवेदन करना होता है। कोर्स के खत्म होने तक हर वर्ष पूर्व सैनिक के बेटे को 24 हजार और बेटी को 27 हजार रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति मिलती है। सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष कम आवेदन आए हैं। इस बार करीब दो सौ बच्चों को छात्रवृत्ति देने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने प्रथम सत्र में प्रोफेशनल कोर्स कर रहे पूर्व सैनिकों के बच्चों से 15 नवंबर तक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने का आग्रह किया है।

व्यावसायिक कोर्स करने के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड बच्चों को देता है छात्रवृत्ति

कोर्स के शुरुआती सत्र में करना होता है आवेदन, 15 नवंबर है अंतिम तिथि

आयुर्वेदिक चिकित्सालय में ... विशेष योग शिवि...

हमीरपुर। जिला आयुर्वेदि... चिकित्सालय हमीरपुर में ... के लिए प्रत्येक शुक्रवार ... निशुल्क विशेष योग शिवि... सुबह 7 बजे से 8 बजे ... आयोजित किया जाएगा। ... योग प्रशिक्षित डॉ. निशा ... ओर से योग अभ्यास क... जाएगा। जिला आयुर्वेदि... अधिकारी एवं एमएस ... डॉ. सरिता राणा ने बता... योग शिविर में कोई भी ... एवं युवा भाग ले सकते ... रोग को दूर करने और ... बचाव के लिए परामर्श ... सकते हैं।

मंडी; बिलासपुर, ऊना में खुलेंगे सेना कोचिंग सेंटर

बिलासपुर के बरठीं में मनाया भारत-पाक युद्ध विजय दिवस

बरठीं (बिलासपुर)। पूर्व सैनिक कल्याण समिति ने भारत-पाकिस्तान युद्ध विजय दिवस रविवार को धूमधाम से मनाया। 16 दिसंबर 1971 में हुए इस युद्ध में हिमाचल के 190 सैनिकों ने शहादत पाई थी। कार्यक्रम में प्रदेश सैनिक कल्याण मंत्री महेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।

उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व सैनिकों व हिमाचल के बच्चों को सेना के लिए तैयार करने को मंडी, बिलासुपर और ऊना में तीन कोचिंग सेंटर खोलेगी। विधानसभा में हिमालयन रेजिमेंट बनाने का प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से पास किया है। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक जीत राम कटवाल व बिटिया फाउंडेशन की प्रदेशाध्यक्ष सीमा सांख्यान वरिष्ठ अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। डिप्टी डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड केएस अत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध व दूसरे विश्व युद्ध में सेवाएं दे चुके पूर्व सैनिकों के परिजनों को किन्हीं कारणों से पेंशन की सुविधा नहीं मिल पाई है। प्रदेश सरकार द्वारा तीन हजार पेंशन संबंधित मामलों को स्वीकृत किया जा चुका है और अभी तक कोई भी प्रमाणपत्र बोर्ड को प्राप्त नहीं हुआ है। इस अवसर पर अल्फा पब्लिक स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। ब्यूरो

14 दिन चला था भारत-पाक युद्ध

पूर्व सैनिक समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि भारत-पाक युद्ध 14 दिन तक चला था। इसमें देश के 3843 जबकि हिमाचल के 190 सैनिकों ने मातृभूमि की रक्षा करते अपने प्राणों की आहुति दी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 97,368 सैनिक बंदी बनाए जबकि 4350 सैनिकों को जख्मी किया, 20 हजार सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। इस युद्ध में प्रदेश के सैनिकों को 24 वीरचक्र, दो महावीर चक्र, एक शौर्यचक्र, दो पीवीएसएम व 6 सेना मेडल मिले।

धर्मशाला के शहीद स्मारक परिसर में विजय दिवस पर लगी हथियारों की प्रदर्शनी का निरीक्षण करते लेफ्टिनेंट जनरल वाईवीके मोहन। प्रदर्शनी में लोगों ने हथियारों की जानकारी ली। इस दौरान कई बच्चों ने हथियारों के साथ फोटो भी खिंचवाए। -अमर उजाला

इन पूर्व सैनिकों को किया गया सम्मानित

बरठीं में वीर चक्र विजेता कैप्टन रूप लाल, शौर्य चक्र विजेता मेजर राकेश शर्मा, कैप्टन योगेंद्र पाल, बीआर भाटिया, सूबेदार हरि सिंह, हवलदार कुलदीप, हवलदार प्रकाश चंद, हवलदार सुशील कुमार, हवलदार मनोज कुमार, हवलदार लच्छू राम, हवलदार देशराज, हवलदार ओंकार सिंह, हवलदार जीतराम मन्हास, सूबेदार बलदेव शर्मा, वीर नारियों में कर्मी देवी, रत्नी देवी, मीरा देवी, सरवनो देवी, राजो देवी व कैप्टन अनंतराम को सम्मानित किया गया।

सैनिकों की बेटियों को मैरिज ग्रांट

राज्य सैनिक बोर्ड ने दी मंजूरी, 270 को मिलेगा लाभ

स्टाफ रिपोर्टर - हमीरपुर

हिमाचल प्रदेश की 270 सैनिकों की बेटियों को मैरिज ग्रांट मिलेगी। राज्य सैनिक बोर्ड ने इसे अपनी मंजूरी दे दी है। अब केंद्रीय सैनिक बोर्ड 270 आवेदनों पर अपनी मुहर लगाएगा। प्रति आवेदन 50 हजार की राशि प्रदान की जाएगी। वर्ष 2018 के अंत तक विभाग के पास ये आवेदन पहुंचे हैं। इस साल पहुंचे आवेदनों ने पिछले कई वर्षों का रिकार्ड तोड़ दिया है। पहली बार विभाग के पास मैरिज ग्रांट के लिए इतने आवेदन पहुंचे हैं। हालांकि इससे पहले 100 का आंकड़ा भी आवेदन पार नहीं कर पाए थे। आवेदनों की संख्या में हुए इजाफा ने राज्य सैनिक बोर्ड को भी राहत प्रदान की है। बता दें कि केंद्रीय सैनिक बोर्ड सैनिकों की बेटियों को मैरिज ग्रांट प्रदान करता है। विवाह के बाद आवेदन पर यह राशि दी जाती है। केंद्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से विवाह के उपरांत 50 हजार की राशि प्रदान की जाती है। हालांकि जागरूकता के आभाव में सैनिकों की कई बेटियों ने इस योजना का लाभ ही नहीं लिया है। बताया जा रहा है कि विवाह के छह माह के भीतर मैरिज ग्रांट के लिए आवेदन करना पड़ता है। निर्धारित समयावधि के बाद इसका लाभ नहीं लिया जा सकता। मैरिज ग्रांट के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा मिलने के बाद आवेदनों की संख्या में इजाफा हुआ है। पहले आवेदन जिला कल्याण बोर्ड को किए गए। जिला स्तर से मंजूरी के बाद आवेदन निदेशालय में पहुंचे। वहां से मंजूरी मिलने के बाद इन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड भेज दिया गया है।

> इस वर्ष मैरिज ग्रांट के लिए प्रदेश भर से 270 आवेदन पहुंचे हैं। इन्हें केंद्रीय सैनिक बोर्ड को भेजा गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 50 हजार की राशि जारी होगी। पिछले वर्षों के मुकाबले इस बार अधिक आवेदन पहुंचे हैं
>
> **ब्रिगेडियर एसके वर्मा**
> निदेशक, सैनिक कल्याण बोर्ड

सरहद के पहरेदारों को नहीं भा रही सिविल की नौकरी

2000 में से मात्र 600 पूर्व सैनिक ही पहुंचे साक्षात्कार देने, अब टाइपिंग टैस्ट होगा

हमीरपुर, 6 दिसम्बर (अंकिता): लगता है कि सरहद पर दुश्मनों को चारों खाने चित्त करने वाले सजग होकर देश के रक्षा कार्यों को करने वाले हमारे देश के वीर जवानों को सिविल की नौकरी नहीं भा रही। पिछले माह सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से निकाली गई विभिन्न कैटागिरी के पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में भाग लेने के लिए पूर्व सैनिकों में उत्साह नहीं दिखा है।

सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों के लिए जूनियर आफिस असिस्टैंट, क्लर्क तथा स्टैनोग्राफर के पदों को भरने के लिए साक्षात्कार का आयोजन किया गया था जिसके लिए बोर्ड ने 2000 के करीब पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया लेकिन 600 पूर्व सैनिक ही साक्षात्कार देने पहुंचे। नवम्बर माह में बोर्ड ने सभी सैनिकों के साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी कर ली है तथा दिसम्बर माह में अब टाइपिंग टैस्ट की प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

> सैनिक कल्याण बोर्ड ने नवम्बर माह में 2000 पूर्व सैनिकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था परंतु 600 के करीब ही पूर्व सैनिक साक्षात्कार के लिए पहुंचे थे। बोर्ड द्वारा दिसम्बर माह में टाइपिंग टैस्ट की तिथियां घोषित कर दी जाएंगी।
>
> -ब्रिगेडियर सुरेश कुमार वर्मा,
> निदेशक, सैनिक कल्याण हमीरपुर

120 पदों के लिए 600 पूर्व सैनिक आजमाएंगे किस्मत

साक्षात्कार में जेओए, क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट पदों के लिए हुआ है चयन

अमर उजाला ब्यूरो

हमीरपुर। सैनिक कल्याण विभाग के तहत विभिन्न विभागों में भरे जाने वाले 120 पदों के लिए 600 पूर्व सैनिक भाग्य अजमाएंगे। 21 से 30 नवंबर तक लिए गए साक्षात्कार में 600 पूर्व सैनिक उत्तीर्ण हुए हैं। विभाग के सौजन्य से विभिन्न विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के 120 पदों के लिए भर्ती की जाएगी।

इन पदों के लिए साक्षात्कार में पास होने वाले अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी बाधा टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन इन पदों के लिए किया जाएगा। हालांकि, इनमें कई पूर्व सैनिक ऐसे होंगे, जो सेना में भी क्लर्क ही थे। उन्हें टाइपिंग में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन साक्षात्कार में पास होने वाले अधिकतर अभ्यर्थियों में अन्य ट्रेडों के पूर्व सैनिक भी शामिल हैं। बीती भर्ती में भी अधिकतर पूर्व सैनिक टाइपिंग टेस्ट में ही फेल हुए थे। अब इन पूर्व सैनिकों का चयन टाइपिंग परीक्षा के आधार पर होगा। उधर, सैनिक कल्याण विभाग के निदेशक ब्रिगेडियर एसके वर्मा का कहना है कि 600 पूर्व सैनिकों का चयन टाइपिंग टेस्ट के लिए हुआ है। जेओए, क्लर्क और स्टेनो टाइपिस्ट के 120 पदों के लिए पात्र अभ्यर्थियों का चयन टाइपिंग टेस्ट के बाद होगा। फिलहाल, टाइपिंग टेस्ट की तिथि तय नहीं की है। जल्द तिथि तय कर अभ्यर्थियों को उसकी सूचना दी जाएगी।

सैनिक कल्याण विभाग जल्द लेगा इन अभ्यर्थियों का टाइपिंग टेस्ट